



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270840  
CG-DL-E-11032026-270840

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1207]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1259(अ)—केंद्रीय सरकार मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-(1) इस आदेश को मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013, में अनुसूची में, -

(क) अनुसूची-क में, क्रमांक संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात् :-

"8. 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपिओफेनोन";

(ख) अनुसूची-ख में, क्रमांक संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात् :-

"46. 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपिओफेनोन";

(ग) अनुसूची-ग में, क्रमांक संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात् :-

"46. 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन"।

[फा.सं. N-17011/1/2025-NC-II-DOR]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

**नोट.-** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में क्रमांक सा.का.नि.191(अ) दिनांक 26 मार्च, 2013 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार क्रमांक सा.का.नि. 71(अ) दिनांक 23 जनवरी, 2025 के द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

**S.O. 1259(E).**— In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, namely: -

1. **Short title and Commencement:**-(1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the SCHEDULE, -

(a) in SCHEDULE-A, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :-

“8. 2-Bromo-4-Methylpropiofenone”;

(b) in SCHEDULE-B, after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :-

“46. 2-Bromo-4-Methylpropiofenone”;

(c) in SCHEDULE-C, after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :-

“46. 2-Bromo-4-Methylpropiofenone”.

[F. No. N-17011/1/2025-NC-II-DOR]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

**Note.-** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.191(E), dated the 26th March, 2013 and lastly amended *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2025.